जमींदार धर्मिक और शेखनिक न्यास

बनाम

सिद्धार्थ (मृत) जरिए विधिक प्रतिनिधि

22 मई, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पांटा, जेजे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

धारा 100 – प्रत्यर्थी द्वारा अधिकार की घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए पहले का मुकदमा-खारिज-प्रत्यर्थी द्वारा पहले के मुकदमे को खारिज करने के तथ्य को छिपाकर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दायर किया गया वर्तमान मुकदमा-दूसरी अपील में उठाया गया सवाल कि क्या नीचे की अदालतें प्रत्यर्थी के अपने अधिकार या प्रतिकूल कब्जे में कब्जे के दावे को स्वीकार करने में सही थींः क्या योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के योग्य कानून का बड़ा सवाल है।

यह विवाद उस ज़मीन से संबंधित है जो एक धार्मिक ट्रस्ट का हिस्सा थी, जिसके अपीलकर्ता ट्रस्टी थे। प्रतिवादी सब्जी विक्रेता था जिसने ट्रस्ट से ठेके पर जमीन से सब्जी एकत्र की थी। 1969 में सरकार ने म.प्र. की धारा 248 के तहत बेदखली का नोटिस जारी किया। भू-राजस्व संहिता ने भूमि को सरकार की भूमि बताकर अपीलकर्ताओं को बेदखल कर दिया। अपीलकर्ताओं ने उप-विभागीय अधिकारी के समक्ष अधिकार और स्वामित्व

के निर्णय के लिए आवेदन दायर किया। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 19.9.1974 को आदेश पारित कर अपीलकर्ता को विवादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया। इसके बाद अपीलकर्ता ने कब्ज़ा बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया जिसे तहसीलदार ने अनुमति दे दी। पटवारी मौके पर गया और पाया कि प्रतिवादी जमीन पर काबिज है।

वादी-प्रतिवादी ने दिनांक 19.9.1974 के आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। संशोधनों को भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद प्रतिवादी ने स्वामित्व की घोषणा और अपीलकर्ता के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए सिविल मुकदमा दायर किया। अपीलकर्ता ने दस्तावेजों की खोज के लिए एक आवेदन दायर किया। प्रतिवादी ने उक्त दस्तावेज दाखिल नहीं किए और उक्त मुकदमा 17.8.1983 को खारिज कर दिया गया।

उक्त आदेश के विरुद्ध कोई आगे अपील या पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाही का विकल्प नहीं चुना गया और इस प्रकार यह निर्णय अंतिम हो गया। इसके बाद प्रतिवादी ने पिछले आदेशों से विचलित न होते हुए प्रतिकूल कब्जे का दावा करते हुए वर्तमान याचिका दायर की। प्रत्यर्थी ने अपने पिछले मुकदमे की संस्था के साथ-साथ उसकी बर्खास्तगी के आदेश दिनांक 17.8.1983 को छिपा दिया।

राज्य के अधिकारियों ने प्रत्यर्थी के साथ मिलीभगत में स्वीकार किया कि प्रतिवादी 1950 से कब्जे में था। अपीलकर्ता भूमि के स्वामित्व

के प्रासंगिक दस्तावेज जमा नहीं कर सके, हालांकि, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कुछ दस्तावेज और अपील का ज्ञापन दायर किया गया जिसे रिकॉर्ड में लिया गया था।

निचली अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। अपील पेश की। अपील के ज्ञापन में, तैयार किए गए प्रश्न थे "(i) क्या नीचे दिए गए न्यायालयों ने वादी-प्रतिवादी के मुकदमे का आदेश देने में गलती नहीं की है; (ii) क्या वादी के दावे को अपीलार्थी को कब्जा बहाल करने के राजस्व प्राधिकरणों के फैसले को कोई चुनौती दिए बिना तय किया जा सकता है; (iii) क्या नीचे दिए गए न्यायालय वादी के कब्जे के दावे को अपने अधिकार में स्वीकार करने में सही हैं या प्रतिकूल हैं। स्वामित्व; (iv) क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय आवेदनों, आई.ए. 5 और आई.ए. 6 को अस्वीकार करने में सही था; (v) क्या निर्णय अपीलार्थी पर सबूत का बोझ गलत तरीके से डाल कर दिए गए हैं। उच्च न्यायालय ने धारा 100 सी.पी.सी. के तहत दायर अपील को खारिज कर दिया। इसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल शामिल नहीं है। इसलिए वर्तमान अपील पेश हुई।

अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

प्रश्न (ii), (iii) और (vi) प्रथम दृष्टया पर्याप्त हैं कानून के ऐसे प्रश्न जिनका न्यायनिर्णयन किया जाना आवश्यक है। [पैरा 30] [764-एफ]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5835/2000।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर पीठ में इंदौर के 1999 की सिविल द्वितीय अपील सं. 191 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 05.08.1999 से।

नागेंद्र राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, आर.के. सिंह, अंसुल राज और सुशील कुमार जैन अपीलार्थी के लिए।

बी. सुनीता राव, सुधीर नंदराजोग, के.ए. सिंह और सी.डी. सिंह उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. अरिजीत पासायत, जे. 1. इस अपील में आदेश को चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी द्वारा धारा 100 के तहत दायर दीवानी अपील को खारिज करते हुए पारित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सी.पी.सी.')। अपील को स्वीकार करने के चरण में संक्षेप में खारिज कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल शामिल नहीं है।

2. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कई प्रश्न कानून शामिल हैं।

3. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल शामिल नहीं है।

4. अपीलार्थी द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं -

5. वर्तमान मामला 3.23 एकड़ भूमि से संबंधित है। इंदौर के राव निहा कारा एन जमींदारा बड़ा रावल के पूर्वज और बाद में एक धार्मिक और शैक्षिक ट्रस्ट का हिस्सा थे। अपीलार्थी इसके न्यासी होते हैं। विवादित भूमि एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ अपीलार्थी न्यास स्वतंत्रता से पहले भी वार्षिक दशहरा पूजा कर रहा है। जमींदार परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करता था। 1969 तक उक्त भूमि के बारे में कोई विवाद नहीं हुआ था। प्रतिवादी केवल एक सब्जी विक्रेता था जो ट्रस्ट से अनुबंध पर भूमि से सब्जियां और फल एकत्र करता था।

6. 1969 में सरकार ने धारा 248 के तहत निष्कासन के लिए एक नोटिस जारी किया। एम.पी. भूमि राजस्व संहिता (संक्षेप में 'संहिता') जो भूमि को सरकार की भूमि होने का दावा करती है और अपीलार्थी को बेदखल कर दिया गया था।

7. दिनांकित पंचनामा 12.6.1975 से पता चलता है कि विवादित भूमि थी। सरकार को प्रत्यर्थियों के पिता अर्थात मूल वादी सिद्धनाथ द्वारा सौंपा गया।

8. अपीलार्थी के अधिकार और शीर्षक के निर्णय के लिए एक आवेदन था। उप-मंडल अधिकारी, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो संहिता की धारा 57 के तहत एक सक्षम प्राधिकारी था।

9. एम. पी. भूमि राजस्व संहिता की धारा 57 निम्नानुसार हैः

"57. सभी भूमि पर राज्य का स्वामित्व। -(1) सभी भूमि राज्य की है। सरकार और यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि राज्य सरकार की संपत्तिः ऐसी सभी भूमि, जिनमें खड़े और बहते पानी, खानों, खदानों, खनिजों और जंगलों आरक्षित है या नहीं, और किसी भी भूमि की उप-मिट्टी में सभी अधिकार हैं।

बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी, अन्यथा के रूप में नहीं होगा। इस संहिता में प्रदत्त, किसी भी व्यक्ति के किसी भी अधिकार को प्रभावित करने वाला माना जाएगा। इस संहिता के लागू होने के समय मौजूद ऐसे किसी भी मामले में संपत्ति।

(2) जहां राज्य सरकार और किसी के बीच विवाद उत्पन्न होता है। उप-धारा (1) के तहत किसी भी अधिकार के संबंध में व्यक्ति ऐसा विवाद उप-मंडल अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(3) उप-धारा के तहत पारित किसी भी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति (2) आदेश की वैधता को चुनौती देने के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर कर सकता है। ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि।

3-(क) (क) सिविल संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5) कोई सिविल न्यायालय किसी दीवानी मुकदमे में स्थापित नहीं होगा। 24 अक्टूबर, 1983 को या उसके बाद उप-धारा (3) के तहत-अस्थायी निषेधाज्ञा उस व्यक्ति को परेशान करती है जिसे कब्जा बहाल किया जाता है। धारा 250 के तहत यदि ऐसा व्यक्ति

एक विश्वसनीय प्रतिभूति प्रस्तुत करता है। सिविल के मामले में किसी भी नुकसान के खिलाफ पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति करें। न्यायालय पीड़ित के पक्ष में आदेश देता हैः

बशर्ते कि किसी द्वारा कोई प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। उप-धारा के तहत एक आदिवासी जनजाति घोषित जनजाति का सदस्य (6) धारा 165;

(एच) जहाँ एक दीवानी न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति को 24 अक्टूबर 1983 को या उसके बाद परेशान किया गया, लेकिन राजस्व विभाग की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले संख्या 1-70-VII-N-2-83, दिनांक 4 जनवरी, 1984 को ऐसा आदेश समाप्त हो जाएगा। ऐसा प्रकाशन और तहसीलदार एक को अधिकार बहाल करेगा। व्यक्ति जो इस तरह के आदेश से परेशान है।

(4) जहां उप-धारा (3) के तहत दीवानी मुकदमा दायर किया गया है। किसी आदेश के विरुद्ध, ऐसा आदेश अपील के अधीन नहीं होगा या पुनरीक्षण"।

10. उप-मंडल अधिकारी ने शीर्षक तय किया और अपीलार्थी घोषित किया। विवाद में भूमि का मिस्वामी और यह भी माना कि भूमि का उपयोग किया जा रहा था या अपीलार्थी द्वारा दशहरा पूजा।

11. कब्जे की बहाली के लिए आवेदन के अनुसरण में उपरोक्त आदेश दिनांक 19.9.1974 के अनुसार, तहसीलदार ने अपीलार्थी को

अधिकार बहाल करने का आदेश दिया। तहसीलदार के उक्त आदेश के अनुसरण में, पटवारियों ने मौके पर जाकर बताया कि यह स्थान वादी/प्रतिवादी के पिता श्री सिद्धनाथ के कब्जे में है। इसलिए अपीलार्थी ने तहसीलदार के समक्ष आदेश के लिए आवेदन किया। तहसीलदार ने एक ओर भूमि के क्षेत्र के बारे में राजस्व बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगने का आदेश पारित किया और साथ ही अपीलार्थी के आवेदन की एक प्रति प्रत्यर्थी के पिता श्री सिद्धनाथ को दी।

12. सिद्धार्थ ने दिनांकित 19.9.1974 के आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की। जिसे खारिज कर दिया गया था।

13. कलेक्टर के आदेश से व्यथित, सिद्धनाथ के पिता प्रत्यर्थी ने आयुक्त (भूमि राजस्व) के समक्ष एक संशोधन दायर किया जिसे भी सीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया।

14. आयुक्त के आदेश से व्यथित, सिद्धनाथ, के पिता प्रत्यर्थी ने राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया।

15. राजस्व बोर्ड ने अपने दिनांकित 26.8.1982 के आदेश को भी खारिज कर दिया। प्रत्यर्थी के पिता द्वारा दायर उक्त पुनरीक्षण।

16. इस बीच प्रतिवादी के पिता सिद्धनाथ ने एक दीवानी याचिका दायर की। उप-मंडल अधिकारी के आदेश की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बहुत बाद अपीलार्थी और राव निहाल करण के खिलाफ अधिकार की घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा No.259A/1981।

इस प्रकार मध्य प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1959 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 57 (3) के तहत मुकदमे पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, उक्त मुकदमे में अपीलार्थी ने दस्तावेजों की खोज के लिए एक आवेदन दायर किया। प्रत्यर्थी के पिता ने उक्त दस्तावेज दाखिल नहीं किए और उक्त मुकदमे को आदेश एक्स 1 नियम 21 सी. पी. सी. के तहत 17.8.1983 पर खारिज कर दिया गया। आदेश XI नियम 21 सी.पी.सी. निम्नानुसार हैः

" ऑर्डर XI। खोज और निरीक्षण।

नियम 21. खोज के आदेश का गैर-अनुपालन-(1) जहां कोई पक्ष पूछताछ का जवाब देने के लिए किसी भी आदेश का पालन करने में विफल रहता है, या दस्तावेजों की खोज या निरीक्षण, वह, यदि कोई वादी, उत्तरदायी होगा। अभियोजन के अभाव में उसका मुकदमा खारिज करने के लिए, और, यदि कोई प्रतिवादी, अपना बचाव करने के लिए, यदि कोई हो, प्रहार किया जाए, और उसी में रखा जाए स्थिति जैसे कि उन्होंने बचाव नहीं किया था, और पार्टी पूछताछ कर रही है या खोज या निरीक्षण की मांग करने वाले आदेश 763 के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। उस प्रभाव के लिए और ऐसे आवेदन पर एक आदेश दिया जा सकता है, तदनुसार, पक्षों को नोटिस देने के बाद और उन्हें

उचित जवाब देने के बाद सुनने का अवसर।

(2) जहां उप-नियम (1) के तहत किसी मुकदमे को खारिज करने का आदेश दिया जाता है, वादी को उसी पर नया मुकदमा लाने से रोका जाएगा कार्यवाही का कारण"।

17. इसके खिलाफ आगे कोई अपील या संशोधन या कोई अन्य कार्यवाही नहीं उक्त आदेश को चुना गया और इस प्रकार यह निर्णय अधिनियम की धारा 57 के तहत अंतिम हो गया।

18. सिद्धनाथ, प्रतिवादी के पिता, पिछले आदेशों से विचलित नहीं हुए, अपीलार्थी या राव निहाल करण को पक्षकार बनाए बिना वर्तमान मुकदमा दायर किया। उक्त सूट। उक्त मुकदमे में सिद्धनाथ ने प्रतिकूल कब्जे का दावा किया। मध्य प्रदेश राज्य के विरुद्ध, जैसा कि वाद के पैरा 8 से स्पष्ट होगा। प्रत्यर्थी ने अपने पिछले मुकदमे की तारीख 21.12.1981 के साथ-साथ इसे खारिज करने के आदेश की तारीख 17.8.83 को छुपाया।

19. इसमें अपीलार्थी जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया था, ने बनाए जाने के लिए आवेदन किया। पक्षकार जिसे अनुमति दी गई थी और अपीलार्थी को प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

20. प्रत्यर्थी के साथ मिलीभगत में राज्य के अधिकारियों ने लिखित रूप में दायर किया। बयान और स्वीकार किया कि प्रतिवादी 1950 से कब्जे में था।

21. चूँकि अपीलार्थी एक धार्मिक और धर्मार्थ न्यास है, न्यासी जमींदार बड़ा रावल के पूर्वजों के प्रासंगिक दस्तावेज एकत्र नहीं कर सके और न ही समय पर साक्ष्य का नेतृत्व कर सके। हालाँकि, अपीलार्थी ने सिद्धनाथ द्वारा प्रस्तुत कुछ दस्तावेज़ और अपील का ज्ञापन दाखिल किया, जिसे रिकॉर्ड में लिया जाना स्वीकार कर लिया गया है।

22. इसके बाद अपीलार्थी ने आदेश XIII नियम के तहत एक आवेदन दायर किया। 10 दिनांक 19.9.1974 के आदेश के खिलाफ दायर अपील ज्ञापन को साबित करने के लिए जिसमें प्रत्यर्थी ने विशेष रूप से यह दलील ली कि वह अपीलार्थी की ओर से कब्जे में था।

23. निचली अदालत ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया।

24. अपीलार्थी ने आदेश VI नियम 17 के तहत भी एक आवेदन दायर किया। बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को सम्मिलित करने के लिए लिखित कथन का संशोधन तथ्य यह है कि पिछले मुकदमे के 17.8.83 दिनांकित बर्खास्तगी आदेश से प्रस्तुत सूट रखरखाव योग्य नहीं है। इसे भी अस्वीकार कर दिया गया था।

25. निचली अदालत ने फैसले और आदेश 31.1.1997 के माध्यम से उक्त मुकदमे का फैसला सुनाया।

26. निचली अदालत के फैसले से व्यथित, अपीलार्थी यहाँ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष पहली अपील दायर की गई, जो 1997 की पहली अपील संख्या 3 थी।

27. इंदौर के तीसरे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश पहली अपील 30.1.1999 को खारिज कर दिया।

28. दूसरी अपील दायर की गई थी जिसे जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है खारिज कर दिया गया था।

29. अपील ज्ञापन में निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए गए थे। अपीलार्थी द्वारा के लिए:

(i) क्या नीचे दी गई अदालतों ने वादी-प्रतिवादी के मुकदमे को रद्द करने में गलती नहीं की है...?

(ii) क्या अपीलार्थी को कब्ज़ा वापस दिलाने के राजस्व प्राधिकारियों के निर्णय को कोई चुनौती दिए बिना वादी के दावे पर फैसला सुनाया जा सकता है...?

(iii) क्या नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय वादी के अपने अधिकार या प्रतिकूल पॉटसेशन के दावे को स्वीकार करने में सही हैं...?

(iv) क्या विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय आवेदनों को खारिज करने में सही था, आई.ए. 5 और आई.ए. 67।

(v) क्या अपीलकर्ता पर गलत तरीके से सबूत का बोझ डालकर निर्णय दिए गए हैं...?

(vi) क्या वादी का मुकदमा उसके पहले के वाद संख्या 359/81 के आदेश XI नियम 21 के तहत डायमिनियल को ध्यान में रखते हुए चलने योग्य था।

30. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में प्रश्न (ii), (iii) और (vi) प्रथम दृष्टया कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। तदनुसार, हमने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है और ऊपर उद्धृत प्रश्नों () () और (vi) पर दूसरी अपील की सुनवाई के लिए मामले को उसके पास भेज दिया है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि प्रथम दृष्टया कानून के पर्याप्त प्रश्न प्रतीत होते हैं, उच्च न्यायालय इस मामले पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

31. लागत के रूप में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति है।

डी.जी. अपील की अनुमति दी गई।